अंक ४०

नई दिल्ली, जून २०१३

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

नव आरक्षकों के क्षमता उन्नयन के लिए प्रशिक्षण अवसंरचनाओं का विकास

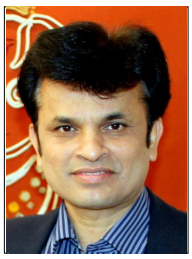

श्री राजेन्द्र कुमार

वर्ष २००८-२०१० के मध्य 'पुलिस सुधार' पर केन्द्र एंव राज्यों के बीच काफी चर्चा होती रही और इस परिचर्चा में यह तय हुआ कि 'पुलिस सुधार' के लिए आवश्यक है आरक्षकों व सब–इंस्पेक्टर स्तर पर अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना ताकि थाना स्तर पर पुलिसकर्मियों का क्षमता निर्माण हो सके। यह भी तय हुआ कि इसके लिए प्रशिक्षण अवसंरचना के निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को प्रस्ताव भेजने पर अनुदान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत कई राज्यों के साथ–साथ मध्य प्रदेश को भी पहली बार आरक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक बड़ा अनुदान दिया गया था।

इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश के ए.डी.जी. ट्रेनिंग श्री राजेन्द्र कुमार से ज़ीनत मलिक द्वारा लिए गए साक्षात्कार के अंश प्रस्तुत हैं।

मध्य प्रदेश को १३वें वित्त आयोग द्वारा कांस्टेबुलरी के क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण के लिए पहली बार अनुदान दिया गया है। क्या अनुदान केवल म.प्र. को ही प्राप्त हुआ है? इसकी राशी एंव अवधि क्या है?

१३वें वित्त आयोग द्वारा पुलिस प्रशिक्षण शालाओं में नव आरक्षकों की क्षमता उन्नयन के लिए अनुदान १८० करोड़ रुपये का दिया गया है जो ०४ चरणों में ०७ प्रशिक्षण शालाओं के उन्नयन पर खर्च किया जाना है। २०१२-२०१६ के मध्य प्रत्येक चरण में ४५ करोड़ की राशी प्रदेश को दी जानी है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में पी.टी.एस. इंदौर एवं पीटीएस तिगरा (ग्वालियर) में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इससे पी.टी.एस. की क्षमता जो पूर्व में २५० आरक्षकों की थी वह अब बढ़कर ८०० हो जायेगी। इसके अंतर्गत पी.टी.एस. इंदौर में उत्कृष्ट श्रेणी का निर्माण कार्य किया गया है।

अनुदान के लिए म.प्र. द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को सर्वश्रेष्ठ माना गया था। इसके प्रमुख बिन्दु कौन–कौन से थे?

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा भारत सरकार को भेजे गये प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया क्योंकि इस प्रस्ताव में प्रशिक्षण से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं का समावेश था – चाहे वह भवन हो, उपकरण हो, वाहन हो, नवीन हथियारों के प्रशिक्षण की बात हो अथवा अन्य आवश्यक वस्तुंए सभी बातों का उल्लेख किया गया था जो एक अच्छे प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता होती है।

इस अनुदान के बाद कांस्टेबल एंव सब इंस्पेक्टर स्तर पर प्रशिक्षण में क्या बदलाव किया गया एंव उनकी क्षमता निर्माण के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

इस अनुदान के बाद आरक्षक के प्रशिक्षण स्तर पर काफी बदलाव आया है। इनका सिलेबस बदला गया है। उपनिरीक्षक स्तर पर भी सिलेबस बदला गया है। प्रशिक्षण शाखा द्वारा ७ नये पाठ्यक्रम बनाये गये हैं –

१. आरक्षक,
२. उपनिरीक्षक,
३. उप पुलिस अधीक्षक,
४. उपनिरीक्षक (रेडियो),
५. उपनिरीक्षक (क्यूडी),
६. उपनिरीक्षक (फिंगर प्रिंट) व
७. सूबेदार बैसिक ट्रेनिंग कोर्स

इनमें से क्रमांक – ४ से ७ के सिलेबस प्रथम बार बदले गये हैं। इन सभी सिलेबस को बनाने से पूर्व इनकी ट्रेनिंग नीड एनेलेसिस (टी.एन.ए.) की गई थी। उसके आधार पर आज की आवश्यकताओं को देखते हुए सिलेबस बनाया गया है। आरक्षक के प्रशिक्षण को दो सेमेस्टर में बांटा गया है। दोनों सिलेबस में आउटडोर व इंडोर की ट्रेनिंग होगी। नये पाठ्यक्रम में पुलिस थाना प्रबन्धन पर एक स्पेशल पेपर जोड़ा गया है। उपनिरीक्षक व उप पुलिस अधीक्षक स्तर पर हर पेपर में प्रोजेक्ट वर्क व प्रैजेन्टेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। आरक्षक से लेकर उप पुलिस अधीक्षक स्तर तक ज्यादातर विषयों में प्रायोगिक विषय जोड़े गये है व उसकी परीक्षा भी ली जाती है। प्रश्नपत्रों का पैटर्न भी बदला गया है। व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दिया गया है। एक पेपर व्यक्तित्व विकास का भी जोड़ा गया है। प्रायोगिक विषय के महत्व का देखते हुए हर विषय में प्रैक्टिकल जोड़ा गया है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढाने के लिए व मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढाने के लिए इनके स्पेशल माड्यूल भी रखे गये है। नव आरक्षकों को विभिन्न कार्यालयों में ले जाने का सिस्टम भी शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत जिलाध्यक्ष कार्यालय, न्यायालय, अस्पताल, महिला संप्रेक्षण गृह, अनाथालय में उनकी विजिट कराई जा रही है ताकि यह अपने कर्तव्यों को भलीभांति समझ सकें।

क्या प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के अलावा प्रशिक्षण अवसंरचना में भी बदलाव या सुधार किया गया है?

पी.टी.एस. इंदौर का नया भवन बनाया गया है। इसमें १२ लेक्चर हॉल हैं जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। इसके अलावा यहाँ लाईब्रेरी हॉल, कमप्यूटर रूम, कांफ्रेन्स हॉल, है। प्रशिक्षणार्थियों को टेस्ट करने के लिए एक Climbing Wall बनाई गई है जो ४० फुट ऊंची है। यहाँ का होस्टल आधुनिक तरीकों से बनाया गया है। यहाँ क्लासरूम भी मार्डन क्लास रूम के समान बनाये गये है।

म्ध्य प्रदेश में कांस्टेबल स्तर पर प्रशिक्षण में co-edu व्यवस्था है। इसके अनुभव पर भी प्रकाश डालें। इसके अलावा कोई और सूचना जो थाना स्तर के अधिकारियों के लिए इस संदर्भ में उपयोगी हो।

महिलाओं और पुरुषों को एक साथ प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रदान करने का मकसद है दोनों के बीच साथ में काम करने की आदत का विकास करना क्योंकि थानों में या फील्ड में इन्हें साथ ही मोर्चा संभालना है। इस प्रशिक्षण शैली को स्वंय महिलाएं भी पसंद करती हैं। कुछ विषयों में, उनके लिए शारीरिक मापदण्ड अलग हैं जैसे रस्सी पर चढ़ना है तो उनके लिए अलग सीमा तय की गई। इसके अलावा क्लास रूम प्रशिक्षण समानरूप से ही दिया जाता है। मेरे विचार में, अन्य स्थानों पर भी साथ में ही प्रशिक्षण प्रदान करने की शैली अपनाना अच्छा होगा।

अंत में, *लोक पुलिस* न्यूज़लेटर पर आपके विचारों से अवगत करायें, कि क्या यह एक उचित सूचना टूल है?

आपके द्वारा प्रेषित ई–कॉपी एक अच्छा सूचना का माध्यम है। इसे और अधिक प्रभावी बनायें एंव प्रचारित करें ताकि इसका उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके।

बूझो और जीतो-१८

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड में हम आपराधिक कानूनों में हुए नए संशोधनों और बाल यौन शोषण सम्बन्धी कानूनों से प्रश्न पूछ रहे हैं। दोनों बेहद उपयोगी कानून हैं, इसलिए अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लें।

हालांकि, इस बार भी पहले की ही तरह आपसे केवल ५ प्रश्न पूछे जाएंगे और पाँचों के सही उत्तर मिलने पर लकी ड्रा से विजेताओं का नाम निकाला जाएगा। यदि किसी के ५ से कम प्रश्नों के उत्तर सही हों तब उसे विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। इस कारण ऐसा सम्भव है कि किसी अंक में कोई भी विजेता न हो।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. क्या किसी पुलिस अधिकरी को छेड़खानी की एफ.आई.आर. न दर्ज करने के लिए दण्ड दिया जा सकता है? यदि 'हाँ' तो किस प्रावधान के अंतर्गत और क्या दण्ड दिया जा सकता है?
२. किसी निजी अस्पताल के मालिक द्वारा बलात्कार पीड़ित महिला का इलाज करने से मना करने पर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है?
३. अलगाव के दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित करने पर क्या दण्ड दिया जा सकता है?
४. किसी लड़की पर तेज़ाब फेंकने वाले को किस प्रावधान के अंतर्गत और क्या दण्ड दिया जा सकता है?
५. क्या मानव तस्करी (ट्रैफिकिंग) के आरोपी को पुलिस ज़मानत पर रिहा कर सकती है? सम्बन्धित प्रावधान में क्या कहा गया है?

बूझो और जीतो – १५ का परिणाम :–

मर्च २०१३ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा २८ के अनुसार किसी राज्य के उच्च न्यायालय को विधि द्वारा निर्धारित हर प्रकार के दण्ड देने का अधिकार है।
२. नहीं, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा २९ के अनुसार किसी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी केवल ७ वर्ष से कम अवधि के दण्ड देने का अधिकार है। मृत्यु दण्ड व आजीवन कारावास से दण्डित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को नहीं है।
३. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ८२ के अनुसार किसी उद्घोषित आरोपी को अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कम से कम ३० दिनों का समय दिया जाता है।
४. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा २(छ) के अनुसार मुकदमे के अलावा दूसरी हर प्रकार की पूछताछ और पड़ताल को 'इंक्वायरी' कहा जाएगा।
५. पुलिस को शमनीय अपराध में भी समझौता कराने का अधिकार नहीं है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३२० के अंतर्गत अगर पीड़ित समझौता करने को तैयार हो तो उसके लिए भी उसे अदालत में ही अर्जी देनी होगी जहाँ मुकदमा चल रहा हो।

विजेता :–

इस अंक के लिए हमें किसी भी पत्र में सभी प्रश्नों के उत्तर सही नहीं प्राप्त हुए हैं। इसलिए किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सका।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या या ईमेल करें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, लोक पुलिस
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–117, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली 110017, भारत
फोन : 91–011–43180200, 43180225–299
फैक्स : 91–011–26864688
ई–मेल : zeenatmalick@gmail.com
वेबसाइट : http://www.humanrightsinitiative.org

भावनात्मक बुद्धिमत्ता : सॉफ्ट स्किल्स का एक महत्वपूर्ण विषय

पिछले अंक में हमने सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण की रूपरेखा के सम्बन्ध में चर्चा की तथा सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत शामिल होने वाले प्रमुख विषयों की सूची का वर्णन देखा। इस अंक से हम सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत शामिल होने वाले प्रमुख विषयों में से क्रमशः एक–एक विषय का चुनाव करके उसका विस्तृत वर्णन करेंगे। इस अंक में हम ''इमोशनल इंटेलीजेंस'' जिसका हिन्दी रूपान्तरण भावनात्मक बुद्धिमत्ता के रूप में किया जा सकता है, का वर्णन करेंगे तथा इसकी पुलिस में क्या प्रासंगिकता है, उसके सम्बन्ध में भी चर्चा करेंगे। हम अगामी अंकों में किसी अलग सॉफ्ट स्किल्स को चुन कर उस पर चर्चा प्रस्तुत करेंगे।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति के भावनाओं को समझने और उन्हें प्रभावी रूप से व्यक्त करने से जुड़ा हुआ गुण है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्तियों के बीच में अच्छे सम्बन्ध विकसित करने, अपनी बात को प्रभावी रूप से रखने, दूसरों की बातों को अच्छे से समझने और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक गुण है। यह एक संतुलित व्यक्तित्व को बनाने के लिये बहुत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जीवन में सफलता तथा प्रसन्नता हेतु महत्वपूर्ण गुण माना गया है।

डेनियल गोलमैन नामक विद्वान ने १९९६ में अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलीजेंस के बारे में यह स्पष्ट किया था कि इमोशनल इंटेलीजेंस सकारात्मक कार्य करने के लिये तथा समस्याओं को सुलझाने के लिये सबसे महत्वपूर्ण मानव गुण है। पुलिस का कार्य समाज में समस्याओं को सुलझाने से जुड़ा हुआ कार्य है और बड़े पैमाने पर आम जनता, पीड़ित व्यक्तियों, अन्य पुलिसकर्मियों, प्रशासन से जुड़े अन्य व्यक्तियों, जन प्रतिनिधियों, पत्रकारों, अपराधियों, किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों इत्यादि से कार्य, व्यवहार, आचरण के आधार पर जुड़ाव रखने से सम्बन्धित कार्य है। अतः इस प्रकार इमोशनल इंटेलीजेंस पुलिस के कार्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण गुण है।

डेनियल गोलमैन द्वारा इमोशनल इंटेलीजेंस के ०५ प्रमुख तत्व बताये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं :–

- स्वयं की भावनाओं को समझना
- भावनाओं पर नियंत्रण रखना
- अपने आप को कार्यों हेतु प्रेरित करना
- दूसरों की भावनाओं को समझना और उसका ध्यान रखना
- आपसी सम्बन्धों को बनाये रखना और उनको मजबूत करना

इमोशनल इंटेलीजेंस की विचारधारा यह स्पष्ट करती है कि केवल व्यक्तिगत जीवन में ही भावनाओं का महत्व नहीं है बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी, कार्यालय में भी तथा अन्य समस्त सरकारी, गैर–सरकारी क्षेत्रों में भी भावनाओं की समझ उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे हम निजी जीवन में देखें या सार्वजनिक जीवन में, हर जगह मानव का मानव से अंतर्सम्बन्ध होने पर ही कार्य हो पाते हैं।

पुलिस के कार्य में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की उपयोगिता :– पुलिस संगठन अपने कार्य में प्रतिदिन तथा प्रत्येक कार्य व व्यवहार में सामाजिक भूमिका निभाता है, इसलिये पुलिस के कार्य में पुलिसकर्मियों का अंतर्सम्बन्ध समाज के अन्य व्यक्तियों से लगातार बना रहता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के गुण पुलिस के लिये निम्न कारणों से आवश्यक माने जा सकते हैं :–

- पीड़ित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता :– अपराध से प्रताड़ित, पीड़ित, किसी भी विपदा से प्रभावित तथा पीड़ित व्यक्तियों तथा उन्हें न्याय, सहायता इत्यादि प्रदान करने में अच्छी भूमिका निभाने हेतु पुलिस में यह गुण होना आवश्यक है। आम जनता पुलिस में इस प्रकार के गुणों की अपेक्षा करती है तथा जहाँ ये गुण विद्यमान नहीं होते वहाँ पुलिस की भर्त्सना भी होती है।
- भीड़/उपद्रव के नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में :– भीड़ तथा उपद्रवों का नियंत्रण करना तथा कानून व्यवस्था को बनाये रखना पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस हेतु पुलिस को स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखना, विषम परिस्थितियों में भी उत्तेजित नहीं होना, बल प्रयोग करते समय संतुलित कार्यवाही हेतु अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना तथा उत्तेजित व्यक्तियों की भावनाओं को समझकर उनसे वार्तालाप करना पुलिस की जिम्मेदारियों में आता है परन्तु इनका क्रियान्वयन बिना इमोशनल इंटेलीजेंस का विकास किये सम्भव नहीं है। जिन पुलिसकर्मियों में इमोशनल इंटेलीजेंस का अभाव होता है, वे ऐसी परिस्थितियों में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही करने की सम्भावना छोड़ते हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में भी इमोशनल इंटेलीजेंस की आवश्यकता है।
- अपराधियों/संदेहियों से पूछताछ तथा पतासाजी :– अपराधियों से पूछताछ करना तथा अपराध करने वाले संदेहियों से सच्चाई जानने का प्रयास करना अत्याधिक जटिल कार्य हैं। पूछताछ करने की तकनीक को बिना इमोशनल इंटेलीजेंस के किया जाना इसलिये सम्भव नहीं है क्योंकि पूछताछ के दौरान अपराधी/संदेहियों के मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। उनकी भावनाओं को समझना जरूरी है और स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। जो पुलिसकर्मी इस दौरान स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं वे कई बार सच उगलवाने के लिये हिंसा का प्रयोग करने लगते हैं जो कि पूर्णतः अवैधानिक तथा गलत कृत्य होता है। इमोशनल इंटेलीजेंस का विकास करने से पुलिस पूछताछ में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकती है।
- अपने सहकर्मियों के साथ टीम भावना के साथ काम करना तथा पुलिस संगठन को प्रभावी बनाना :– पुलिस का कार्य प्रभावी रूप से तभी सम्पादित हो सकता है जब पुलिस का प्रत्येक व्यक्ति टीम भावना के रूप में अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर प्रत्येक कार्य सम्पादित करे। पुलिस संगठन भी पुलिसकर्मियों के आपसी समन्वय तथा अच्छे सम्बन्ध रखने से ही प्रभावी बन सकता है। प्रत्येक पुलिसकर्मी अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ अच्छा व्यवहार करे, उनके साथ संवेदनशील रहे, उनकी भावनाओं को समझे तथा मिल–जुलकर एकरूपता से कार्य करे, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पुलिसकर्मियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता होना आवश्यक है।

उपरोक्त आधार पर हम देखते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी भी संगठन के विकास के लिये अत्याधिक महत्वपूर्ण है तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यक्षेत्र में सफल बनाने के लिये अत्याधिक आवश्यक गुण है। पुलिस का प्रत्येक कर्मी एक संगठन के रूप में समाज के अंदर आमजन की भलाई और सुख–शांति के लिये अपनी सेवाएं देता है, इसलिये उसके अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता के गुण होना अत्याधिक आवश्यक है।

– श्री विनीत कपूर
ए.आई.जी., मध्य प्रदेश पुलिस

गवाहों की सुरक्षा-अविलंब नीति निर्धारण हो!

किसी आपराधिक केस में केवल एक गवाह की मौखिक गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी माना जा सकता है। इसलिए, न्याय तक पहुँचने के लिए विभिन्न प्रकार के सबूतों के अलावा गवाह का बयान दो ऐसे तत्व हैं जिनके बगैर अपराधसिद्धि असम्भव है। अति संवेदनशील गवाहों को अदालत में गवाही देते समय आरोपी का सामना न करना पड़े इसके लिए निचली अदालत इन दिनों 'बेहतर गवाही की सुविधा' पर काम कर रही है। पहली ऐसी सुविधा जोकि तीस हज़ारी कोर्ट में शुरू की जाने वाली है, के अंतर्गत अतिसंवेदनशील गवाहों के लिए अलग से कमरा होगा ताकि बयान के समय उन्हें अनुकूल वातावरण मिले। इस सुविधा के अंतर्गत वर्तमान स्थिति से हटकर गवाह को बयान के समय एक अलग कमरे में बिठाया जाएगा और वीडियो–कांफ्रेंसिंग जोकि कोर्ट के कमरे से जुड़ी होगी जिसके द्वारा गवाह का बयान पूरी तरह जज और आरोपी के समक्ष होगा। इसमें बड़े आकार के एकतरफ़ा आईने की खिड़की भी होगी जिससे आरोपी गवाह को देख सकेगा, लेकिन गवाह आरोपी को नहीं देख सकेगा जिससे की उसे संकट में होने का आभास कम होगा। ज़िला एंव सत्र न्यायालय श्री ए. के. चावला ने हाल ही में, इस सुविधा की बनावट के पर्यवेक्षन के लिए तीन वरिष्ठ जजों की एक समिति का गठन किया है। यह समिति इसकी योजना और इसके लिए प्रचालन–तन्त्र की व्यवस्था करेगी।

लेकिन, आम तोर पर देखा गया है कि कई केसों में सबूत नष्ट करने और गवाहों का बयान न देने के लिए आरोपी उन्हें विभिन्न प्रकार से धमकी देते हैं, लालच देते हैं और प्रहार करते हैं।

कई बहुचर्चित केसों में भी इन्हीं कारणों से गवाहों के मुकरने के उदाहरण हैं। मई २०१३ में ऐसे ही एक केस में झूठी गवाही देने के लिए एक गवाह पर उच्च न्यायालय ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया। २००२ के बहुचर्चित जेसिका लाल हत्या केस में झूठी गवाही देने वाले प्रमुख गवाह श्यान मुंशी और बैलिस्टिक एक्सपर्ट प्रेम सागर मिनोचा पर अदालत ने झूठी गवाही देने के लिए मुकदमा चलाने का आदेश दिया और केन्द्रीय कानून मंत्रालय को गवाहों की सुरक्षा के लिए स्कीम तैयार करने के निर्देश दिया था। इसके बाद, निचली अदालत एक व्यापक 'गवाह सुरक्षा योजना' तैयार करने के लिए सक्रियता से कार्यरत है। उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी वारदात में कानून लागू कराने वाली एजेंसियां इसमें गवाहों को होने वाले खतरे या दी जाने वाली धमकी का आकलन करेंगी। अगर ऐसे खतरों को प्र्याप्त रूप से गंभीर माना गया और गवाह कानून लागू करने वाली एजेंसियों से सहायता मांगते हैं तब गवाह सुरक्षा कोष की सहायता से गवाहों को सुरक्षा प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गवाह अदालत में आकर अपना बयान दें।'

कानून मंत्रालय ने विभिन्न देशों– अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूज़ीलैंड आदि के गवाह सुरक्षा कानूनों के अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट का मसौदा गृह मंत्रालय को विचार के लिए भेज दिया है। इस रिपोर्ट में प्रस्तावों की सूची में निम्न प्रस्ताव रखे गए हैं :–

➢ इसमें केन्द्रीय कानून मंत्रालय ने गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने की ज़िम्मेदारी एक स्वतंत्र एजेंसी को देने का प्रस्ताव रखा।

➢ यह स्वतंत्र एजेंसी किसी केस में सम्बद्ध गवाह को दी जाने वाली धमकी का आकलन करेगी और यह तय करेगी कि कब और किसके लिए सुरक्षा की ज़रूरत है। एजेंसी ऐसे गवाहों को न केवल सुरक्षा प्रदान करेगी बल्कि वह इनकी पहचान गुप्त रखने के लिए भी ज़िम्मेदार होगी।

➢ इसके अलावा अगर आवश्यकता महसूस की गई तो यह एजेंसी गवाहों को नये स्थान पर बसाने की व्यवस्था भी करेगी और एक नया जीवन प्रारम्भ करने में उनकी सहायता भी करेगी। जैसे कि कनाडा में कमिश्नर यह तय करते हैं कि किस गवाह को सुरक्षा समझौते के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करना है और फिर उसे एक नए स्थान पर तब तक बसने के लिए सहायता प्रदान की जाती है जब तक वह स्वंय ऐसा करने में समर्थ न हो जाए।

➢ इस मसौदे में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि गवाही देने के लिए अदालत आने वाले गवाहों को एक उचित भत्ता भी दिया जाए और सभी प्रकार के भत्ते की प्रक्रिया नरम हो।

वर्तमान में, ट्रायल कोर्ट गवाहों की सुरक्षा का प्रबन्ध केवल बयान पूरा होने तक के लिए करवा सकती है। लेकिन, कई आपराधिक केसों में विशेषकर तब, जब गवाह के बयान

शेष पृष्ठ ३ पर .....

क्या आप जानते हैं?

इस स्तम्भ में हम पिछले अंक से बच्चों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों, निर्देशों आदि को आपकी जानकारी के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। इसी क्रम में स्थायी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार हम, इंगलैंड में उपयोग किये जाने वाले दिशा–निर्देशों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

इंगलैंड

बच्चे सर्वप्रथम : बच्चों के कल्याण और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय दिशा–निर्देश दस्तावेज़ की रूपरेखा

१. महत्वपूर्ण सूचना

२. सिद्धांत, लक्ष्य और दिशा–निर्देश का उपयोग

३. बाल उत्पीड़न का परिभाषा और पहचान, प्रयोजन की रिपोर्ट दर्ज कराने का आधार और मान्य रिपोर्टिंग प्रक्रिया, अंतः एजेंसी सहायता

४. विशेष महत्व, विशेष रूप से संवेदनशील बच्चे, साथी उत्पीड़न

सम्बद्ध प्रावधान

१. प्रारम्भिक एक पेज का सारांश जिसमें कि यह बताया गया है कि कौन सा प्रावधान किस पेज पर उपलब्ध है।

२. जानलेवा बाल उत्पीड़न : दुःखद परिस्थितियों में जहाँ किसी बच्चे की मृत्यु उत्पीड़न या लापरवाही के कारण हो जाती है, वहाँ तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है : आपराधिक, (अन्य) बाल सुरक्षा और वियोग

३. मान्य रिपोर्टिंग फार्म की मौजूदगी

४. गोपनीयता : बच्चे के उत्पीड़न सम्बन्धी सभी सूचनाओं को 'जानने की आवश्यकता' के आधार पर बच्चे के हित में बांटा जाना चाहिए।

५. विभिन्न साझेदारों की भूमिका और ज़िम्मेदारी

६. बाल सुरक्षा अधिसूचना व्यवस्था (बा.सु.अ.व्य.) : यह प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड होता है जहाँ किसी बच्चे की सुरक्षा पहले से ही एक मुद्दा हो। बच्चे का नाम बा.सु.अ.व्य. पर एच.एस.ई. चाईल्ड केयर मैनेजर/समतुल्य मनोनीत व्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक आकलन और विचार–विमर्श के बाद डाल दिया जाता है।

७. "संगठित उत्पीड़न" के लिए प्रावधान। आवश्यक रूप से, संगठित उत्पीड़न या तो तब होता है जब कोई व्यस्क व्यक्ति किसी स्थान या संस्था में तरीके से घुसता है और व्यवस्थागत रूप से शोषण के मकसद (यौन शोषण) से बच्चों को अपने जाल में फंसाता है या जब दो या उससे अधिक व्यस्क ऐसा बच्चों को लुभा कर प्रताड़ित करने के लिए षडयंत्र करते हैं। संगठित उत्पीड़न विभिन्न स्थानों पर हो सकता है जैसे कि – संस्थान, परिवार, समुदाय या विस्तृत परिवार।

८. महत्वपूर्ण परिभाषाएं (पहले घटित न हुई हों)

बच्चों और नवयुवकों द्वारा यौन उत्पीड़न :

सामान्य यौन अन्वेषण : इसमें दो बच्चों के बीच निष्कपट खेल होता है जिसमें वे अपने लैंगिकता का अन्वेषण करते हैं। बच्चों में इस प्रकार के व्यवहार में आदान प्रदान हो सकता है। इस व्यवहार का मुख्य पहलू है इसकी स्वेच्छा इस बर्ताव में कोई अवपीड़क और प्रभुत्व का पहलू नहीं होना चाहिए। आम तौर पर, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के बाल सुरक्षा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।

उत्पीड़न प्रतिक्रियात्मक व्यवहार: इस स्थिति में, ऐसा बच्चा जिसके साथ उत्पीड़न किया गया है, दूसरे बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। यह एक गंभीर व्यवहार है और इसका इलाज कराने की आवश्यकता होती है। प्रताड़ित बच्चे की आवश्यकताओं को देखकर ऐसी स्थिति में, बाल अपराधकर्ता की ज़रूरतों को भी देखने की आवश्यकता है।

लैंगिक रूप से आसक्त व्यवहार : इस प्रकार की स्थिति में, बच्चे बाध्यकारी लैंगिक व्यवहार में लिप्त हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण है अत्यधिक हस्तमैथून, जिससे किसी अन्य प्रकार की भावनात्मक प्राप्ति हो। अधिकतर बच्चे अपने जीवन में कभी न कभी हस्तमैथून करते हैं। जहाँ बच्चे किसी देख रेख में हों या जहाँ देख रेख या ध्यान न हो उनमें अत्यंत आराम की ज़रूरत होती है जो पूरी नहीं हो पा रही हो और ऐसे में उनमें हस्तमैथून से सेक्स में अत्यधिक रुचि या जिज्ञासा विकसित हो सकती है, जोकि अत्यधिक और बाध्यकारी स्वरूप ले सकता है। ऐसे बच्चे यौन उत्पीड़न का शिकार न भी हुए हों, पर इन्हें उन ज़रूरतों को परिचयन में विशेष सहायता की ज़रूरत होती है। केवल यह तथ्य की यह कृत किसी किशोर के द्वारा किया जा रहा है उदाहरण के तौर पर इसे एक 'प्रयोग' नहीं बनाता है। किशोरों एंव नवयुवकों द्वारा अत्याचारपूर्ण व्यवहार : ऐसा व्यवहार जो अत्याचारपूर्ण हो, उसमें प्रभुत्व, दबाव या घूस और निश्चित रूप से गोपनीयता का तत्व होगा। फिर भी, अगर दोनों बच्चों में कोई अंतर नहीं है बच्चों की उम्र, स्तर, समझ या शक्ति में कोई अंतर नहीं है तब कोई यह बहस कर सकता है कि यह वास्तव में एक प्रयोग है। दूसरी ओर, अगर, उदाहरण के लिए किशोर की उम्र १३ वर्ष है और बच्चे की उम्र ३ वर्ष है, उम्र का यह अंतराल स्वंय ही एक अत्याचारपूर्ण लक्षण हैं जिसे गंभीरतापूर्ण लिया जाना चाहिए।

बदमाशी को पुनरावर्ती गुस्से के रूप में परिभाषित किया जा सकता है – चाहे वह मौखिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या शारीरिक हो जो एक व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे पर किया जाए। यह व्यवहार जानबूझकर भड़काने और धमकाने वाला होता है और मुख्य रूप से बच्चों में तब उत्पन्न होता है जब वे सामाजिक वातावरण में हों जैसे – स्कूलों में। इसमें चिढ़ाना, ताने मारना, धमकी देना, मारना या एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी एक पीड़ित से जबरदस्ती वसूली करने जैसा व्यवहार सम्मिलित हैं। बदमाशी, नस्ली उत्पीड़न का रूप भी ले सकती है। आधुनिक तकनीक के विकास से बच्चे भी फ़ोन, इंटरनेट और अन्य व्यक्तिगत उपकरणों से गैर सम्पर्क बदमाशी का शिकार हो सकते हैं।

९. महत्वपूर्ण परिशिष्ट जिसमें एक मान्य रिपोर्टिंग फार्म, बाल उत्पीड़न का चिन्ह आदि सम्मिलित होता है।

– प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

पृष्ठ २ का शेष .....

के कारण अपराधी को दण्डित कर दिया जाता है, यह देखने में आया है कि जहाँ आपराधिक केसों में गैंग व संगठित अपराध घटित हुए हों, वहाँ प्रतिशोध लेने के लिए केस के बाद गवाहों पर हमले किये गये हैं। हालांकि, वर्तमान में गवाहों के बयान के बाद गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है और इसका सीधा प्रभाव न्याय पर होता है। इन्हीं कारणों से ज़हीरा शेख, जिसे बेस्ट बेकरी केस में अपने बयानों से मुकरने के लिए एक साल का दण्ड दिया गया था और श्यान मुंशी जैसे प्रत्यक्षदर्शी भी न चाहते हुए भी गवाही से मुकर जाते हैं। वास्तव में, गवाहों के लिए यह एक दोधारी तलवार की तरह है अगर अपनी गवाही पर कायम रहें तो अपने और परिवार को हमेशा के लिए ताकतवर आरोपी द्वारा खतरे में डालते हैं और अगर झूठ बोलकर अदालती कार्यवाही से बाहर निकलना चाहें तों स्वंय को जेल की हवा खानी पड़ती है। इसलिए, वर्तमान समय में लोग अपराधों को अनदेखा करना ही लाभकारी मानते हैं।

इसलिए, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को एक चिरस्थायी गवाह सुरक्षा स्कीम तैयार करने के लिए कह कर कई केसों में न्याय सुनिश्चित कराने के लिए बहुत उचित कदम उठाया है। अब इस स्कीम को बनाते समय इस विषय पर सार्वभौमिक प्रचलन और कानूनों से उदाहरण लेकर एक मज़बूत स्कीम तैयार की जानी चाहिए। जिसमें निम्न बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए :–

➢ अदालत में बयान से पहले गवाह व उसके किसी भी परिजन को डराने, धमकाने और किसी अन्य प्रकार के शारीरिक, मानसिक व आर्थिक आघात की स्थिति में किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

➢ गवाही के बाद प्रतिशोध के रूप में सम्भावित खतरा और इसकी सम्भावित अवधि का आकलन किया जाना चाहिए।

आशा है, १० सप्ताह के भीतर अर्थात् अगस्त २०१३ तक देश में गवाहों की सुरक्षा के लिए एक चिरस्थायी और मज़बूत नीति, गवाहो के सुरक्षा कवच के रूप में उपलब्ध होगी।

– ज़ीनत मलिक

आपके विचार

सम्पादिका जी,

आपके द्वारा प्रेषित मासिक पत्रिका *"लोक पुलिस"* की प्रतियाँ प्राप्त हुई। इसके लिए धन्यवाद।

लोक पुलिस पत्रिका के अंक ३८ में प्रकाशित सभी लेख काफी सराहनीय है। डॉ. श्री निखिल गुप्ताजी (भा.पु.से.) के साक्षात्कार में राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर पुलिस प्रशिक्षण के बारे में काफी उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार राजस्थान पुलिस अकादमी के बारे में भी काफी जानने को मिला।

विशेष रूप से "पुलिस हेतु सॉफ्ट स्किल्स" – प्रशिक्षण का महत्व लेख बहुत ही ज्यादा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। वर्तमान में परिदृश्य में सॉफ्ट स्किल्स की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी में सॉफ्ट स्किल्स का होना नितांत आवश्यक है। एक सफल पुलिस अधिकारी होने के लिए जिस कौशल की आवश्यकता होती है उनमें से एक अत्यंत आवश्यक सॉफ्ट स्कील है। श्री विनीत कपूर, एडीसी टू गवर्नर (म.प्र.) का यह लेख वास्तव में अत्यंत सारगर्भित जानकारी प्रस्तुत करता है।

बहुत ही अच्छा हो यदि लेख में उल्लेखित १० जरूरी स्किल्स की, एक–एक करके विस्तृत जानकारी हर अंक में प्रस्तुत हो। इससे निश्चित रूप से न केवल हमारे प्रशिक्षणार्थी बल्कि प्रशिक्षकगण एवं अन्य सभी पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

पुलिस के संदर्भ में इतनी महत्वपूर्ण सारगर्भित जानकारी इस मासिक पत्रिका के माध्यम से पुलिसजन तक पहुंचाने के लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारे प्रशिक्षण महाविद्यालय की ओर से आपको शुभकामनाएं।

मेरी अपेक्षा रहेगी कि *लोक पुलिस पत्रिका* का लाभ हमारे पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय को भविष्य में भी निरंतर प्राप्त होता रहेगा।

शुभकामनाओं सहित !

सुश्री मनीषा पाठक सोनी
पुलिस अधिक्षक
पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज,
इंदौर, मध्य प्रदेश

हम, *लोक पुलिस* के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, *लोक पुलिस* में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

गुमशुदा बच्चों की तलाश

भारत में नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार प्रत्येक ८ मिनट में एक बच्चा गुम हो जाता है। वर्ष २००८-२०११ के मध्य ८७००० बच्चों के गुम होने की शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें से ३३००० की स्थिति का पता लगाना अब भी बाकी है। पुणे में एक सामाजिक संघ ने गुमशुदा बच्चों की तलाश में माता पिता व अभिभावकों की सहायता करने के लिए एक वेबसाईट जारी की है जिस पर देश भर से कोई भी व्यक्ति गुमशुदा बच्चों की सूचना डालने में समर्थ होगा। इसके बाद प्रत्येक बच्चे की तलाश के लिए उसके ब्यौरे को सोशल नेटवर्किंग वेबसाईटों व अन्य प्लेटफार्म पर डालने की योजना हैं। एन.सी.आर.बी. के अनुसार महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक बच्चे गुम होने की रिपोर्ट है। लेकिन, दिल्ली का आँकड़ा भी बहुत अच्छा नहीं, २०१२ में ११३६ केस दर्ज किये गये हैं। इसके बावजूद दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर (अपराध) श्री धर्मेन्द्र कुमार ने एक सर्कुलर जारी करके एक साल पुराने गुमशुदा बच्चों के केस को बन्द करने का आदेश दिया है। हालांकि, इस पर दिल्ली की महिला एंव बाल कल्याण मंत्री श्रीमती ए.के. वालिया ने दिल्ली के कमिश्नर को पत्र लिखकर इस सर्कुलर की वैधानिकता को जाँच करवाने को कहा है और साथ ही यह भी कहा है कि इस समाज का भला नहीं होगा बल्कि जो सुस्त जाँच अधिकारी हैं और जाँच नहीं करना चाहते उन्हें एक बढ़िया अवसर मिल जाएगा केस बन्द करने के लिए।

किसी केस को केवल एक साल में बन्द कर देने के निर्देश से जाँच अधिकारियों के काम न करने की आदत को वैधानिक सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी और सुस्त जाँच अधिकारी किसी प्रकार एक वर्ष की अवधि समाप्त होने की राह देखेंगे। जबकि आमतौर पर प्रत्येक आपराधिक केस में यह देखा जाता है कि पुलिस निर्धारित 60 या 90 दिनों के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट अदालत में नहीं जमा करती है। ऐसी स्थिति में गुमशुदा बच्चों के केस में जाँच को अधिक महत्व देने के बजाय उसे एक वर्ष में बन्द करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी इस सर्कुलर को खारिज किये जाने की आवश्यकता है।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २२ मई २०१३)

दिल्ली पुलिस का दूसरा स्वरूप

दिल्ली पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल अनिल कुमार ने जब ऑफिस पहुँचकर अपना बैग खोला तो वह अपने बैग में १ लाख ३०० रु. तथा कुछ अन्य सामग्रियों जैसे कि एक डायरी, पेन, एक फाइल एंव कागज़ातों को देखकर हैरान रह गया। अनिल कुमार ने अपने मित्र रणबीर, जोकि उसके साथ ट्रेन में गाज़ियाबाद से यात्रा करता है को फोन पर अपने बैग के बदल जाने की सूचना दी। रणबीर ने बताया कि उस ट्रेन में यात्रा करने वाला किशनबीर सिंह नामक व्यक्ति अपना बैग ढूँढ रहा था और उसका नम्बर भी रणबीर के पास है। इसके बाद कांस्टेबल ने वह नम्बर लेकर बैग के मालिक को मोबाईल पर बैग के बारे मे जानकारी दी। किशनबीर सिंह अनिल के ऑफिस आकर सभी वस्तुओं के साथ अपने बैग को ले गए।

कांस्टेबल अनिल कुमार नम्बर ११६४४/डी.ए.पी. ने स्वंय बैग के मालिक को उसकी पूरी रकम के साथ सौंप कर जिस ईमानदारी का प्रदर्शन किया है वह बेहद सराहनीय है और बल के सभी सदस्यों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उसको विभाग की ओर से प्रोत्साहन कार्ड और एक हज़ार रु. का पुरस्कार भी दिया गया।

ऐसे उदाहरणों को देखकर पुलिस बल के मैदानी स्वरूप में सुधार होने की आशा जगती है और यह विश्वास होता है कि नई पीढ़ी हर क्षेत्र में बेहतरी लाएगी और पुलिस बल से धीरे–धीरे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा।

(सौजन्य : दिल्ली पुलिस वेबसाईट पर पोस्ट की गई ३१ मई २०१३ की प्रेस रिलीज़)

गृह मंत्रालय – क्या वास्तव में पुलिस सुधार पर गंभीर?

गृह मंत्रालय ने देश में पुलिस सुधार के महत्व की जाँच करके इसकी पूरी तरह मरम्मत करने के लिए इसकी स्थिति रिपोर्ट की जाँच करने के बाद सुधार प्रक्रिया की कछुआनुमा चाल की आलोचना की है। गृह मंत्रालय के अनुसार "पुलिसिंग व्यवस्था को वर्तमान समय के अनुसार सुधार करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें बेहतर स्तर पर लाया जाए ताकि वे अपराध और अपराधियों से निपटने, मानवाधिकारों को कायम रखने और हर एक के वैधानिक स्वार्थ की रक्षा प्रभावपूर्ण रूप से कर सकें। पुलिस सुधार की स्थिति पर यह रिपोर्ट १३ जून २०१३ को तब आई है जब १५ अप्रैल को प्रशासन सुधार आयोग द्वारा पुलिस सुधार पर दिये गये सुझावों को गैर–कांग्रेसी राज्यों ने यह कह कर अस्वीकार कर दिया था कि सुझाए गये उपायों से राज्यों के अधिकारक्षेत्र में अतिक्रमण होता है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि १९७० से केन्द्र द्वारा गठित विभिन्न आयोगों ने कई महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें की हैं और गृह मंत्रालय लगातार कोशिश करता रहा है कि राज्यों द्वारा इन्हें अपनाया जाए और पुलिस प्रशासन में आवश्यक सुधार लाया जाए।

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इसने २००४ में एक समिति का गठन किया था जिसे तब तक के सभी आयोगों द्वारा दी गई सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का निरीक्षण करने को कहा गया था। इस समिति ने मंत्रालय के पास जमा किये गये विभिन्न रिपोर्टों में से ४९ सिफ़रिशों की संक्षिप्त सूची बनाई थी जोकि पुलिस की सेवा अवस्था, पुलिस के व्यवसायिक मानदण्ड, आंतरिक सुरक्षा में इसकी भूमिका से सम्बन्धित सिफ़रिशों को राज्यों एंव केन्द्रशासित राज्यों को भेज दिया था।

लेकिन, ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि गैर कांग्रेसी राज्यों ने पुलिस सुधार पर की गई सिफ़ारिशों को किसी भी कारण से नहीं अपनाया है तो क्या जहाँ केन्द्र अर्थात कांग्रेस की सरकार है, उन स्थानों पर इसे अपना लिया गया है। अगर सरकार पुलिस सुधार के लिए गंभीर है तो मॉडल पुलिस एक्ट अब तक संसद में प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? क्यों यह २००६ से सरकार के पास पड़ी है? इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह के केस में दिये गये दिशा–निर्देशों का वास्तविक रूप से कार्यान्वयन सभी कांग्रेसी राज्यों में क्यों नहीं हुआ है? अब सरकार को पुलिस सुधार की ईच्छा शक्ति का प्रायोगिक उदाहरण देने की आवश्यकता है न कि दूसरों को ऐसे न करने के लिए कोसने का।

(सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, १८ जून २०१३)

पुलिस का डण्डा अब हल्का होगा

दिल्ली पुलिस के डण्डे को अब बदलने की तैयारी है। पुलिस को बांस के डण्डे के बजाय नरम पदार्थ का बना हुआ डण्डा दिया जाएगा। इसका मकसद है कि डण्डे के उपयोग में आसानी हो और इसके प्रहार से अधिक चोट भी न पहुँचे।

दिल्ली पुलिस की लाठी का ज़ोर कम करने की आवश्यकता, पुलिस द्वारा इसके अनावश्यक और घातक उपयोग को देखते हुए महसूस की गई है। प्रायः पुलिस पार्कों या फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को उठाने के लिए अपनी लाठी के सिरे का उपयोग करती हुई दिख जाती है। वैसे तो किसी भी प्रकार की लाठी से किसी को घोंपने पर चोट अवश्य ही पहुंचेगी, लेकिन इस नई प्रस्तावित लाठी से दर्द और चोट कम होगा।

कई पश्चिमी देशों में उपयोग की जा रही नवीन प्रकार की ये लाठियाँ अपने देश में भी परिक्षण के लिए रिज़र्व बटालियन यूनिट को और कुछ थानों में भेज दी गई हैं। जब भी इस नये डण्डे को पूरी तरह कारगर मानकर उपयोग के लिए अपना लिया जाएगा तब सबसे पहले नई दिल्ली ज़िले की पुलिस को इसका उपयोग करने के लिए दिया जाएगा क्योंकि जंतर मंतर, इंडिया गेट जैसे स्थान इसी ज़िले में उपस्थित हैं जहाँ हमेशा ही किसी न किसी प्रदर्शन, रैली और धरना आदि के दौरान पुलिस को डण्डे का उपयोग करना पड़ता है। पिछले दो सालों में पुलिस को २०११ में १४३३ प्रदर्शन और २०१२ में १३०७ प्रदर्शनों को सम्भालना पड़ा था। इसके अलावा २०११ में ७८६४ और २०१२ में ८४०५ रैलियों और जुलूसों को भी सम्भालना पड़ा था।

जहाँ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के डण्डे के उपयोग का कानूनी मकसद समझते हुए यह कह रहे हैं कि 'लाठी चार्ज करने का मकसद लोगों को चोट पहुँचाना नहीं है, बल्कि भीड़ को हटाना है और अगर यह काम इस डण्डे से किया जा सकता है तो हमें इस नये डण्डे के उपयोग से प्रसन्नता होगी।' वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी के अनुसार 'लोगों में पुलिस के डण्डे का डर बना रहना चाहिए।' कुछ कांस्टेबलों का कहना है कि यदि उन्हें नये वाले डण्डे उपयोग के लिए दिये जाएंगे तब भी अगर पुराने डण्डे का उपयोग गैर कानूनी नहीं बनाया जाए तो वे उसे भी साथ रखेंगे।

अगर नया डण्डा कम चोट पहुँचाने वाला और कारगर भी है तब सभी राज्यों को अपने पुराने कैन के उस ३०-४० इंच लंबे डण्डे के बजाय इतने ही कद के नवीन डण्डे को तुरन्त अपना लेना चाहिए क्योंकि पुलिस की अकारण लाठी चलाने की आदत को तुरन्त बदलना शायद कठिन है लेकिन उस लाठी के दर्द को तो पुलिस नेतृत्व और सरकार तुरन्त ही कम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि धरना और लाठी चार्ज केवल दिल्ली के रामलीला मैदान में ही होता है, कभी जम्मू में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाती तो कभी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस अपनी लाठी चलाती दिख जाती है।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, १८ जून २०१३)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org